न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 98/2025

तारीख रजू :– 11/06/2025

प्रार्थना पत्र बाबत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2025/266

उनवान

पदमसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

––सायल

बनाम

कश्मीरा पत्नि प्रभु जाति जाटव निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

––गैरसायलान–06

दिनांक	फर्द अहकाम	
	आज यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री पी एल गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि का उपयोग उपभोग करने मजामहत, मदाखलत नहीं करने, बेदखल नहीं करने, भूमि को व रहनवय नहीं करने हेतु गैरसयालान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाल खसरा नम्बर 2275 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं गैरसायलान को तलबी हेतु रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी हेतु पत्रावली दिनांक 15.07.2025 को पेश हों। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
राजीनामा से प्रार्थना पत्र [illegible] करना चाहते है पदमसिंह प.वा. [signature]	3/7/25 – पत्रावली पेशी तलबी पर पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित। सायल वकील द्वारा [illegible] पेश कर, प्रकरण को नोट [illegible] का अनुरोध किया गया। अतः [illegible] T.J. पदम सिंह वगै. बनाम कश्मीरा आदि [illegible] को खारिज किया जाता है।	

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बरान से कम करते हुये दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:44:33 IST
Reason: SelfAttested